बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), पटना – 800015.

फोन नं0 :– 0612–2217352
फैक्स नं0 :– 0612–2215611
ई–मेल :–ceo_bihar@eci.gov.in

प्रेस विज्ञप्ति

लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के आलोक में राज्य में सात चरणों में मतदान प्रक्रिया जारी है। इसमें दो चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है एवं तीसरे चरण का मतदान दिनांक 07.05.2024 को संपन्न होना है। गर्मी को देखते हुए निर्वाचन प्रक्रिया में निर्वाचकों की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए इस कार्यालय द्वारा सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी को मतदान केन्द्रों में सभी सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया है एवं इस संबंध में आवश्यक व्यवस्था को सुनिश्चित किया जा रहा है।

हीट वेव से सुरक्षा– हीट वेव से निपटने हेतु भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त गाइडलाइन को सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों से साझा किया गया है एवं उक्त गाइडलाइन के आलोक में आवश्यक तैयारी को पूरा कर लिया गया है।

छायादार जगह एवं शेड की व्यवस्था– प्रत्येक मतदान केंद्र में मतदाताओं के लिए छाया की व्यवस्था रहेगी। जिन मतदान केन्द्रों में छाया नहीं है, वहां शामियाना लगाकार व्यवस्था होगी। मतदान केन्द्र की बिल्डिंग में ही जगह उपलब्ध होने पर बैठने की व्यवस्था के साथ प्रतीक्षालय भी मतदाताओं के लिए उपलब्ध रहेंगे।

पीने का पानी एवं मेडीकल किट– गर्मी को देखते हुए पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही आपात स्थिति में मतदाताओं की सुविधा हेतु मेडीकल किट की भी व्यवस्था की गई है। जिन बिल्डिंग में एक से ज्यादा मतदान केन्द्र है वहां अलग से मेडीकल किट की उपलब्धता को सुनिश्चित किया गया है।

<u>व्हीलचेयर एवं स्वयंसेवक–</u> गर्भवती महिलाओं, वरिष्ठ मतदाताओं, महिला मतदाताओं एवं PwD मतदाता के लिए 4:2:1 (4–PwD,वरीष्ठ मतदाता,गर्भवती महिलाएं, 2–महिलाएं, 1–पुरूष) की प्राथमिकता के आधार पर मतदान करने की व्यवस्था रहेगी एवं आवश्यक सहायता हेतु बूथ पर स्वयंसेवक उपस्थित रहेंगे। मतदान केन्द्रों में सुगम आवागमन के लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था को भी सुनिश्चित किया गया है। राज्य स्तर पर युवा मतदाताओं तथा अन्य मतदाता समूह को निर्वाचन प्रक्रिया से जोड़ने के लिए नेशनल सर्विस स्कीम, नेहरू युवा केंद्र, भारत स्काउट और गाइड के वालंटियर प्रतिनियुक्त किए गए हैं।

<u>बैठने एवं बिजली की व्यवस्था–</u> मतदाताओं के लिए बैठने की व्यवस्था, छायादार जगह, फर्नीचर इत्यादि प्रमुख हैं। प्रत्येक मतदान केन्द्र में मतदाता सहायता डेस्क भी रहेगी जहां से मतदाता किसी तरह की समस्या आने पर वांछित सहायता प्राप्त कर सकते है।

<u>आने–जाने के लिए निःशुल्क वाहन की सुविधा</u>–मतदान दिवस के दिन मतदाताओं के सुगम आवागमन हेतु सभी जिलों में PwD मतदाता, 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं तथा गर्भवती महिलाओं को मतदान केन्द्र तक आने–जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसके लिए मतदाता हेल्पलाइन 1950 या संबंधित बूथ के बीएलओ के माध्यम से ये सुविधा स्थानीय आवश्यकता के आधार पर प्राप्त कर सकते है। इस संबंध में विस्तृत निदेश सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी को जारी किये गये है। प्रमंडलीय आयुक्तों को निदेशित किया गया है कि वे अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी जिलों में मतदान केन्द्रों में उपलब्ध सभी सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाओं की उपलब्धता का निरीक्षण करते हुए इन्हें सुनिश्चित करायेंगे।

<u>बूथ पर उपलब्ध सुविधाओं का व्यापक प्रचार–प्रसार</u>–जिले के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों–चौक और चौराहे पर हीट वेव तथा मतदान के दिन हीट वेव से बचाने वाली व्यवस्थाओं की सूचना पर आधारित विज्ञापन, सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाओं पर आधारित विज्ञापन, मतदाता हेल्पलाइन 1950 की जानकारी, और 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता, PwD मतदाता और गर्भवती महिला मतदाताओं के लिए उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी का व्यापक प्रचार–प्रसार सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके साथ ही व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु इस संबंध में समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया के माध्यम से नियमित स्तर पर प्रचार–प्रसार भी किया जा रहा है ताकि मतदान केन्द्र में उपलब्ध इन सुविधाओं की जानकारी सभी मतदाताओं को समय रहते प्राप्त हो सकें।

<u>डोर–टू–डोर कैंपेन</u>– जिला स्तर पर जीविका दीदी, आंगनबाड़ी कर्मी, स्थानीय चौकीदार, टोला सेवक, तालमी मरकज, किसान सलाहकार, आवास सहायक, आशा दीदी, बीएलओ एवं अन्य स्थानीय कर्मी दैनिक स्तर पर डोर–टू–डोर बेसिस पर मतदाताओं से संपर्क कर रहे है एवं मतदान करने की अपील के साथ मतदाताओं को बूथ पर उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी दे रहे हैं।

<u>Voter Information Slip</u>–मतदाताओं की सुलभता हेतु सभी सभी मतदान केन्द्रों में शत प्रतिशत Voter Information Slip का वितरण उपस्थित मतदाताओं के मध्य करने का निदेश सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी को दिया गया है। मतदाताओं के लिए वोटर इनफॉरमेशन स्लिप आवश्यक दस्तावेज है इसलिए सभी BLO को यह निर्देशित किया गया कि वह इसका वितरण पूर्ण गंभीरता के साथ सुनिश्चित करें तथा साथ ही यह भी निर्देशित किया गया है कि इस तथ्य का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए कि Voter Information Slip मतदान हेतु अनिवार्य दस्तावेज नहीं है। कोई भी मतदान दल मतदाताओं को BLO द्वारा जारी Voter Information Slip को दिखाने के

लिये बाध्य नहीं कर सकता है। मतदाताओं की सुलभता हेतु मतदान केन्द्र की जानकारी, मतदान का समय व अन्य आवश्यक विवरण के साथ Voter Information Slip का वितरण मतदाताओं के मध्य किया जाता है।

<u>वैकल्पिक दस्तावेज–</u> मतदान के समय निर्वाचकों की व्यक्तिगत पहचान अनिवार्य है। निर्वाचक की व्यक्तिगत पहचान स्थापित होने के पश्चात् ही मतदान करने की अनुमति दी जायेगी। निर्वाचकों की व्यक्तिगत पहचान के लिए भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्वाचकों को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (EPIC) निर्गत किये गये हैं। ऐसे निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के आधार पर अपनी व्यक्तिगत पहचान स्थापित कर मतदान में भाग ले सकते हैं। वैसे निर्वाचक जिन्हें किसी कारणवश निर्वाचक फोटो पहचान पत्र निर्गत नहीं किया जा सका है अथवा निर्वाचक फोटो पहचान पत्र किसी कारणवश प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उनकी व्यक्तिगत पहचान के लिए आयोग के द्वारा वैकल्पिक फोटो दस्तावेजों की सूची जारी कर दी गई है, जिनका इस्तेमाल मतदान के समय व्यक्तिगत पहचान स्थापित करने में किया जा सकता है। वैकल्पिक दस्तावेजों की सूची निम्न प्रकार हैः–

(1) आधार कार्ड,
(2) मनरेगा जॉब कार्ड,
(3) श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड,
(4) बैंको/डाकघरों द्वारा जारी किये गये फोटोयुक्त पासबुक,
(5) ड्राइविंग लाइसेन्स,
(6) पैन कार्ड
(7) एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड.
(8) भारतीय पासपोर्ट,
(9) फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज,
(10) केन्द्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र,
(11) सांसदों/विधायकों/विधान परिषद् सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र,
(12) यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार।

उपर्युक्त दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज प्रस्तुत करने पर निर्वाचक द्वारा मताधिकार का प्रयोग किया जा सकेगा, बशर्ते कि इससे निर्वाचक की पहचान स्थापित हो जाती हो।

<u>मोबाइल मैसेज–</u> राज्य में मोबाइल ऑपरेटर बीएसएनएल, एयरटेल, वोडाफोन–आइडिया तथा जियो–रिलायंस के माध्यम से मतदाताओं को मतदान की तिथि वाले संदेश तथा वॉइस कॉल के माध्यम से मतदाता जागरूकता पर आधारित संदेश प्रेषित किए जा रहे हैं।

लोक सभा आम निर्वाचन, 2024 के तृतीय चरण में मतदान के समय से संबंधित–

लोक सभा आम निर्वाचन, 2024 के तृतीय चरण के 05 (पाँच) संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों **7–झंझारपुर, 8–सुपौल, 9–अररिया, 13–मधेपुरा एवं 25–खगड़िया** का मतदान **दिनांक 07.05.2024 (मंगलवार)** को निर्धारित है। इन संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान का समय निम्नवत् है :–

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम	संबंधित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम	मतदान का समय	मतदान की तारीख
7–झंझारपुर	33–खजौली	पूर्वाह्न 7:00 बजे से अपराह्न 6:00 बजे तक	07.05.2024 (मंगलवार)
	34–बाबूबरही	पूर्वाह्न 7:00 बजे से अपराह्न 6:00 बजे तक	
	37–राजनगर (अ०जा०)	पूर्वाह्न 7:00 बजे से अपराह्न 6:00 बजे तक	
	38–झंझारपुर	पूर्वाह्न 7:00 बजे से अपराह्न 6:00 बजे तक	
	39–फुलपरास	पूर्वाह्न 7:00 बजे से अपराह्न 6:00 बजे तक	
	40–लौकहा	पूर्वाह्न 7:00 बजे से अपराह्न 6:00 बजे तक	
8–सुपौल	41–निर्मली	पूर्वाह्न 7:00 बजे से अपराह्न 6:00 बजे तक	07.05.2024 (मंगलवार)
	42–पिपरा	पूर्वाह्न 7:00 बजे से अपराह्न 6:00 बजे तक	
	43–सुपौल	पूर्वाह्न 7:00 बजे से अपराह्न 6:00 बजे तक	
	44–त्रिवेणीगंज (अ०जा०)	पूर्वाह्न 7:00 बजे से अपराह्न 6:00 बजे तक	
	45–छातापुर	पूर्वाह्न 7:00 बजे से अपराह्न 6:00 बजे तक	
	72–सिंहेश्वर (अ०जा०)	पूर्वाह्न 7:00 बजे से अपराह्न 6:00 बजे तक	
9–अररिया	46–नरपतगंज	पूर्वाह्न 7:00 बजे से अपराह्न 6:00 बजे तक	07.05.2024 (मंगलवार)
	47–रानीगंज (अ०जा०)	पूर्वाह्न 7:00 बजे से अपराह्न 6:00 बजे तक	
	48–फारबिसगंज	पूर्वाह्न 7:00 बजे से अपराह्न 6:00 बजे तक	
	49–अररिया	पूर्वाह्न 7:00 बजे से अपराह्न 6:00 बजे तक	
	50–जोकिहाट	पूर्वाह्न 7:00 बजे से अपराह्न 6:00 बजे तक	
	51–सिकटी	पूर्वाह्न 7:00 बजे से अपराह्न 6:00 बजे तक	
13–मधेपुरा	70–आलमनगर	पूर्वाह्न 7:00 बजे से अपराह्न 6:00 बजे तक	07.05.2024 (मंगलवार)
	71–बिहारीगंज	पूर्वाह्न 7:00 बजे से अपराह्न 6:00 बजे तक	
	73–मधेपुरा	पूर्वाह्न 7:00 बजे से अपराह्न 6:00 बजे तक	
	74–सोनबरसा (अ०जा०)	पूर्वाह्न 7:00 बजे से अपराह्न 6:00 बजे तक	
	75–सहरसा	पूर्वाह्न 7:00 बजे से अपराह्न 6:00 बजे तक	
	77–महिषी	(1) मतदान केन्द्र सं०–15 से 26, 30 से 33, 62 से 228, 264 से 270 एवं 298 से 314 कुल 207 मतदान केन्द्रों के लिए मतदान का समय पूर्वाह्न 7:00 बजे से अपराह्न 6:00 बजे तक	

		(2) शेष 107 मतदान केन्द्रों के लिए मतदान का समय पूर्वाह्न 7:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक	
25–खगड़िया	76–सिमरी बख्तियारपुर	(1) मतदान केन्द्र सं०–1 से 39, 43 से 54, 56, 60 से 62, 68 से 69, 89 से 93, 98 से 274, 277, 288 से 333, 343, 344, 349 से 359 कुल 299 मतदान केन्द्रों के लिए मतदान का समय पूर्वाह्न 7:00 बजे से अपराह्न 6:00 बजे तक (2) शेष 60 मतदान केन्द्रों के लिए मतदान का समय पूर्वाह्न 7:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक	07.05.2024 (मंगलवार)
	140–हसनपुर	पूर्वाह्न 7:00 बजे से अपराह्न 6:00 बजे तक	
	148–अलौली (अ०जा०)	पूर्वाह्न 7:00 बजे से अपराह्न 6:00 बजे तक	
	149–खगड़िया	पूर्वाह्न 7:00 बजे से अपराह्न 6:00 बजे तक	
	150–बेलदौर	पूर्वाह्न 7:00 बजे से अपराह्न 6:00 बजे तक	
	151–परबत्ता	पूर्वाह्न 7:00 बजे से अपराह्न 6:00 बजे तक	

लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के आलोक में यह कार्यालय निर्वाचन प्रक्रिया में मतदाताओं की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करनेक के लिए प्रतिबद्व है। इस कार्यालय द्वारा जारी Toll Free No-1800-345-1950 पर जानकारी प्राप्त करने अथवा समस्या निवारण हेतु मतदाताओं द्वारा संपर्क किया जा सकता है।